

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—39/2024 (2024/139) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कमलादेवी पत्नि भैरूलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. बालु पुत्र रामा लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा पुत्र गंगाराम सालवी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. राजकुमार नायक—
2. हरिश चन्द्र टेलर —

प्रार्थी अधिवक्ता

विपक्षी संख्या 2 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:—17.02.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के खेत आराजी संख्या 4971/4980 रकबा 0.0850 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1233 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 15.02.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 08.05.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गय विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपने में जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है प्रार्थीया व विपक्षी के विपक्षी की आराजियात के मध्य वर्षो पुराने मुश्तकील निशानात सीमा सम्बधित होकर दीवारे बना रखी है जिससे किसी प्रकार की कोई अडचन नही है न ही किसी प्रकार का विवाद बना रहता है। पड़ोसी खातेदारान की भूमियो को हड़पना व अवैध कब्जा करने की नियत से नये सिरे से रास्ता कायम करना चाहती है इसलिये पत्थरगढी का आदेश फरमाया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होकर खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी



सहायक कलमकार
(एस.डी.ओ.) रायपुर

खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के खेत आराजी संख्या 4971/4980 रकबा 0.0850 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 1233 पर दर्ज रेकार्ड है, जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विश्वजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान सरकार
रायपुर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—39/2024 (2024/139) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कमलादेवी पत्नि भैरूलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. बालु पुत्र रामा लुहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा पुत्र गंगाराम सालवी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 17.02.2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के खेत आराजी संख्या 4971/4980 रंकबा 0.0850 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1233 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(विश्वजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर जिला भीलवाड़ा